हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में वकील वादी ने निवेदन करने पर अदम पैरवी पत्रावली खारिज आदेश दिनांक 28/11/23 को पेश की।

पत्रावली खारिज आदेश पेश हुई। वाद व्यय का कार्य सम्पन्न हो अदम वकील वादी पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा वाद संख्या 8 की 24.10 बीघा आराजी भूमि व वाद 28 के मु.नं. 29 की 19 बीघा आराजी भूमि की आबत जाती कब्जा आतंडाली उच्च 7854 दिनांक 26.07.1982 में असरा सं. 20 वर्तमान मु.नं. 23 प.नं. 199/317 की 19.00 बीघा की आबत उर्ज असरा सं. 20 को दुरुस्त किया जाकर सही असरा सं. 20 संशोधित किया जाकर रकबा आतंडाली रिकार्ड में दर्ज के आदेश पारित करने हेतु निर्देश किया है प्रकरण में तहसीलदार रामसिंहपुर ने डायरी संख्या/अ.भ.-2024/1582 दिनांक 27/8/24 के द्वारा भी कब्जा में असरा सं. 20 की आबत 20 की दुरुस्ती करने की अनुशंसा की गई है।

वादी द्वारा कब्जा में दुरुस्ती हेतु आवेदन किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व कब्जा का अवलोकन किया। कब्जा मौजा जिलाधीश श्रीगंगानगर द्वारा वादी को गई है। प्रकरण में राजस्व रिकार्ड में हुई त्रुटि की दुरुस्ती का अनुरोध नहीं बाद गया है। जिलाधीश महोदय द्वारा जारी कब्जा में दुरुस्ती का अधिकार मेरे इस न्यायालय का नहीं है अतः इस [illegible] वादी को संशोधित अनुरोध नहीं [illegible] भेजा है अतः वाद पत्र [illegible]

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली संभाले में सुरक्षित होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.22 11:43:01 IST
Reason: SelfAttested